न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

मि0न0 –80/2017

अनवान : –

1. गोपीराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
2. हरआम व खास।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए.

उपस्थिति :– विरेन्द्र सिह बैनीवाल वकील वादी
राज पेरोकार वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः– **06.10.2017**

सक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादाबास के वर्तमान खाता संख्या 176/193 के खसरा सं. 102 की 1.239 हैक्टर, खसरा सं. 214 की 1.138 हैक्टर, खसरा सं. 241 की 0.784 हैकटर, खसरा सं. 379 की 1.480 हैक्टर कुल 4.641 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी के भाई बलवन्तसिह पुत्र पोकरराम के नाम से 1/10 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति संलग्न है। यही बिनाय दावा है।

वादी को भाई बलवन्तसिह कुंवारा तथ वादी के साथ ही रहा करता था। बलवन्तसिह की सेवा चाकरी आदि वादी ही करता था जिससे वह खुश होकर अपनी उक्त खातेदारी के संबंध में दिनांक 1.12.2016 को बरोबरू गवाहान अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं पूर्णतया होशहवाश के वादी के पक्ष में वसीयत लेखबद्ध करवा कर निष्पादित करवा दी थी। उक्त वसीयत बलवन्तसिह की अन्तिम वसीयत थी। वसीयत की प्रति संलग्न वाद है।

बलवन्तसिह का दिनांक 4.12.2016 को देहान्त हो गया जिस पर बलवन्तसिह की उक्त खातेदारी मुताबिक वसीयत वादी को प्राप्त हो गई तथा बलवन्तसिह कुंवारा फोत होने के कारण उसके प्रथम श्रेणी को कोई विधिक वारिस भी नही था तथा मुताबिक वसीयत बलवन्तसिह की उक्त खातेदारी का वादी कानूनन खातेदार काश्तकार हो गया परनतु उक्त भूमि आज भी बलवन्तसिह के एनाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बलवन्तसिह संलग्न वाद है।

ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा उतरादाबास के वर्तमान खाता संख्या 176/193 के खसरा सं. 102 की 1.239 हैक्टर, 214 की 1.138 हैक्टर, खसरा सं. 241 की 0.784 हैक्टर, खसरा सं. 379 की 1.480 हैक्टर कुल 4.641 हैक्टर बारानी खातेदारी जिसमें बलवन्तसिह पुत्र पोकरराम के नाम से जो 1/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, का वादी खातेदार काश्तकार है। बाद किये जाने घोषणा जमाबंदी हाल को तदनुसार दुरूस्त किया जावे। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी सं. 01 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 2 हरआम खास के लिये वादी के द्वारा दिनांक 01.06.2017 को पंजाब केसरी राष्ट्रीय अखबार में साया करवाया गया जिससे खण्डन के लिये न्यायालय में कोई

प्रतिपक्ष उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादी स्टेट का जवाब पेश होने पर तनकीयात कायम गई। बाद पत्रावली साक्ष्य हेतुं रखी गयी। साक्ष्यवादी में पी.डब्ल्यू 1 में गोपीराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा ने अपने साक्ष्य की ताहिद में वसीयत दिनांक 01.12.2016 प्रदर्श 1, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 1ए, मृत्यु प्रमाण पत्र बलवन्तसिह प्रदर्श 2 जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 2ए, जमाबंदी रोही मोजा उतरादाबास सम्वत 2071 से 74 प्रदर्श 3 पेश किये। वकील वादी ने मुताबिक दावा अनुतोष वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा उतरादाबास के वर्तमान खाता संख्या 176/193 के खसरा सं. 102 की 1.239 हैक्टर, खसरा सं. 214 की 1.138 हैक्टर, खसरा सं. 241 की 0.784 हैकटर, खसरा सं. 379 की 1.480 हैक्टर कुल 4.641 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी के भाई बलवन्तसिह पुत्र पोकरराम के नाम से 1/10 हिस्सा भूमि खातेदारी भूमि में बलवन्तसिह पुत्र पोकरराम के द्वारा दिनांक 01.12.2016 को करवायी गयी वसीयत के आधार पर अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। तथा वादी के पक्ष में बलवन्तसिह पुत्र पोकरराम के द्वारा की गई वसीयत के खण्डन में कोई साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही हुआ।

अतः वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के वर्तमान खाता संख्या 176/193 के खसरा सं. 102 की 1.239 हैक्टर, खसरा सं. 214 की 1.138 हैक्टर, खसरा सं. 241 की 0.784 हैकटर, खसरा सं. 379 की 1.480 हैक्टर कुल 4.641 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी के भाई बलवन्तसिह पुत्र पोकरराम के नाम से 1/10 हिस्सा खातेदारी भूमिं में बलवन्तसिह का नाम कलमजन कर उक्त 1/10 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसीनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसीनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर सलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक **06.10.2017** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी :–श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

मि0न0 –80 / 2017

अनवान : –

1. गोपीराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
2. हरआम व खास।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए.

आज यह वाद मुझ श्री ऋषभ जैन_सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) विरेन्द्र बैनीवाल एवं राजपैरोकार की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी साबित होने पर वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के वर्तमान खाता संख्या 176 / 193 के खसरा सं. 102 की 1.239 हैक्टर, खसरा सं. 214 की 1.138 हैक्टर, खसरा सं. 241 की 0.784 हैकटर, खसरा सं. 379 की 1.480 हैक्टर कुल 4.641 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी के भाई बलवन्तसिह पुत्र पोकरराम के नाम से 1 / 10 हिस्सा खातेदारी भूमि में बलवन्तसिह का नाम कलमजन कर उक्त 1 / 10 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसीनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक **06.10.2017** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)

R.A.S

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा जिला हनुमानगढ